Schedule XLII-High Court (J) 19[old (M)164]

<u>अनुमन्डल न्यायालय–असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) बनमनखी, पूर्णियाँ, बिहार</u>

समक्ष– सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)

स्वत्व वाद सं.– 8/23 सी.आई.एस.क्र.– 8/23

मो0 खलील अंसारी बनाम नाजनी खातुन

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
17/04/25	वादी एवं प्रतिवादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजिरी है। यह वाद प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन दिनांक 05.09.24 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन को संचालित कर वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया है कि प्रतिवादी के अनुपस्थिति के कारण दिनांक 14.06.24 को प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय सुनवाई किये जाने का आदेश पारित किया गया है। जबकि प्रतिवादी को वाद की सूचना नहीं थी। प्रतिवादी इस वाद में दिनांक 27.04.24 को उपस्थित हो गए हैं एवं उसी दिन लिखित कथन भी प्रस्तुत कर दिये हैं। अतः विनम्र निवेदन है कि दिनांक 14.06.24 के आदेश को वापस लेकर लिखित कथन को ग्रहण किये जाने की कृपा की जाए। वादी के द्वारा प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर आपत्ति व्यक्त किया गया है कि प्रतिवादी को वाद की सूचना थी परंतु प्रतिवादी जान–बूझकर वाद में उपस्थित नहीं हुए। ऐसी दशा में प्रतिवादी का उक्त आवेदन खारिज किये जाने योग्य है। उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रतिवादी को पंजीकृत डाक से निगर्त समन इस टिप के साथ वापस किया गया है कि प्रतिवादी उक्त समन लेने से इंकार किये है। वाद के प्रभावी एवं न्यायपूर्ण निराकरण के लिए आवश्यक है कि उभय पक्ष के अभिवचन को अभिलेख पर लाया जाना न्याय संगत है। प्रतिवादी वाद में संघर्ष करने के लिए तैयार है। अतः वादी के असुविधा को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिवादी का उक्त आवेदन 500 रूपये खर्च पर स्वीकृत कर लिखित कथन को ग्रहण किया जाता है। खर्चा वादी को देय होगा। वाद आगामी दिनांक 13.05.25 वास्ते सुलहवार्ता हेतु नियत। हस्ताक्षर अ.सै.न्यायाधीश वरीय कोटि बनमनखी, पूणियाँ	